




भारत सरकार/Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग/Department of Atomic Energy
क्रय एवं भंडार निदेशालय/Directorate of Purchase & Stores .

विक्रम साराभाई भवन / Vikram Sarabhai Bhavan
अणुशक्तिनगर/ Anushaktinagar
मुंबई / Mumbai 400094

**CIRCULAR No. DPS/HQ/07/2017
DATED MAY 31, 2017**

This Directorate has registered with Government e-Market (GeM) portal of DGS&D as a buyer. All Indentors can visit <https://gem.gov.in> to select the product. The Indentors can indicate the details of the product in their indent and obtain approval of Competent Authority and Unit Finance for processing on GeM. Unit Finance should note that once order is released on GeM, funds have to be blocked and would not be available for re-appropriation/surrender, etc. Indentors' should note that the product once delivered at Stores; have to be accepted within ten days. Payment to vendors will be released after ten days without any further consultation with the Indenting Officer/User. Indenting Officer may visit the website of Ministry of Finance (www.finmin.nic.in → Department → Expenditure → Procurement Policy Division) for detailed procedure vide OM F.26/4/2016.PPD dated 20.09.2016.


21.05.2017
(Gautam Pal)
Director

Indenting Officers, BARC, Mumbai/HWB, Mumbai/DCS&EM, Mumbai/BRIT,
Mumbai/AERB, Mumbai/ NRB, Mumbai & DAE, OYC, Mumbai




भारत सरकार / Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy
क्रय एवं भंडार निदेशालय / Directorate of Purchase & Stores

विक्रम साराभाई भवन / Vikram Sarabhai Bhavan
अणुशक्तिनगर / Anushaktinagar
मुंबई / Mumbai 400094

परिपत्र संख्या क्रमनि/मुख्या./ 07 /2017
दिनांक : 31 मई, 2017

यह निदेशालय खरीददार के रूप में डीजीएसएंडडी के सरकारी ई-बाजार (GeM) पोर्टल में पंजीकृत कर चुका है। सभी मांगकर्ता उत्पाद चयन करने के लिए <https://gem.gov.in> पर विज़िट कर सकते हैं। मांगकर्ता अपने मांगपत्र में उत्पाद के विवरण का उल्लेख कर सकते हैं और GeM पर प्रोसेसिंग करने के लिए सक्षम प्राधिकारी और एकक वित्त का अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं। एकक वित्त नोट करें कि GeM पर आदेश जारी होते ही, निधि को ब्लॉक किया जाना है और यह पुनर्विनियोजन/सरेंडर इत्यादि के लिए उपलब्ध नहीं होगी। मांगकर्ता नोट करें कि भंडार में उत्पाद की सुपुर्दगी होते ही 10 दिन के अंदर उसे स्वीकार किया जाना है। मांगकर्ता अधिकारी/प्रयोक्ता से आगे कोई परामर्श किए बगैर 10 दिन के बाद विक्रेताओं को भुगतान रिलीज़ कर दिया जाएगा। मांगकर्ता अधिकारी दिनांक 20.09.2016 के का.जा. सं. एफ.26/4/2016 पीपीडी के तहत विस्तृत प्रक्रिया हेतु वित्त मंत्रालय की वेबसाइट (www.finmin.nic.in) → विभाग → व्यय → प्रापण नीति प्रभाग पर विज़िट कर सकते हैं।



गौतम पाल
31.05.2017
(गौतम पाल)
निदेशक

सभी मांगकर्ता अधिकारी, भापअकें, मुंबई/भापाबो, मुंबई/निसेसंप्रनि, मुंबई/ब्रिट, मुंबई/पउनिप, मुंबई/एनआरबी, मुंबई और पउवि, ओवायसी, मुंबई